अनुदान संख्या 99 – शहरी विकास विभाग
GRANT No. 99–DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*25,72,00*	*25,51,81*	*–20,19*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1000,62,00		1000,64,00	882,53,19	–118,10,81
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					*37,76,12*
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*23,70,00*		*40,20,00*	*40,25,51*	*+5,51*
पूरक	*Supplementary*	*16,50,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1670,00,00		2451,08,00	2400,85,72	–50,22,28
पूरक	Supplementary	781,08,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					47,30,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services					
मू.		O.	2400.00	2298.88	2168.97	–129.91
पु.		R.	–101.12			
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation			5250.00	3250.00	–2000.00
मुख्य शीर्ष ''2216'' आवास	Major Head "2216" Housing					
मू.		O.	40335.00	39853.00	39098.39	–754.61
पु.		R.	–482.00			
मुख्य शीर्ष ''2217'' शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development					
मू.		O.	34077.00	21885.00	16735.83	–5149.17
पू.		S.	1.00			
पु.		R.	–12193.00			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.		O.	18000.00	27001.00	27000.00	–1.00
पू.		S.	1.00			
पु.		R.	9000.00			

(I) 2220.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''मल जल और सफाई - नगर निगम को सहायता - चयनित शहरों में विमानपत्तन के निकट

(I) Provision of Rs.2220.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these Rs.2000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2215" – "Sewerage and Sanitation-Assistance to Municipal Corporation-Pilot Project

ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी प्रायोगिक परियोजना'' के अंतर्गत वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

on Solid Waste Disposal near Airport in Selected Cities" – due to non-receipt of approval from Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2052'' - "सचिवालय - शहरी विकास'' के अंतर्गत 231.03 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपचार के संबंध में पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat - Urban Development" – saving of Rs.231.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals towards Medical Treatment.

(III) मुख्य शीर्ष "2216'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2216"- savings occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मतें'' -

(A) "General Pool Accommodation-Maintenance and Repairs" –

(क) "रिहायशी भवनों की मरम्मत और रख-रखाव'' - 650.28 लाख रु. की बचत (25765.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Repair and Maintenance of Residential Buildings"- saving of Rs.650.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25765.00 lakhs); and

(ख) "निर्माण'' - 246.15 लाख रु. की बचत (1545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Construction" – saving of Rs.246.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1545.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने और निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under above two heads were due to non-finalization of bills and slow progress of works.

(ग) "संपदा निदेशालय'' - 157.54 लाख रु. की बचत (3550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा दावों तथा रख-रखाव और मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(c) "Directorate of Estates" – saving of Rs.157.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3550.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less expenditure on medical claims and maintenance and repairs.

(खा) "अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मतें - निर्माण'' - 147.70 लाख रु. की बचत (290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Other Housing - Maintenance and Repairs-Construction"– saving of Rs.147.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 290.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष "2217'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2217" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य शहरी विकास स्कीमें'' -

(A) "Other Urban Development Schemes"-

(क) ''स्थानीय निकायों/निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास बोर्डों आदि को सहायता - जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'' - 2418.43 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मांग आधारित स्कीम की शर्त की वजह से शहर विकास योजना और प्रारूप परियोजना रिपोर्ट की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''शहरी सूचना प्रणाली'' - 113.48 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''एकत्रित वित्त विकास निधि'' - 9434.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''राष्ट्रमंडल खेल'' - 330.00 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कम मांग प्रक्षेपित किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(i) ''शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण (घरेलू स्रोत)'' - 4426.98 लाख रु. की बचत (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) ''शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)'' - 116.03 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Assistance to Local Bodies/Corporation, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc.- Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission"- saving of Rs.2418.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 3000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from State Governments/implementing agencies for reimbursement of cost of City Development Plan (CDP) and Draft Project Reports (DPRs) owing to clause of demand driven scheme.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Urban Information System"- saving of Rs.113.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from implementing /executing agencies.

(ii) "Pooled Finance Development Fund"- saving of Rs.9434.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from State Governments/implementing agencies.

(iii) "Commonwealth Games"- saving of Rs.330.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to less demand projected by Delhi Development Authority.

(B) "General"-

(a) "Direction and Administration"-

(i) "Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)"- saving of Rs.4426.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs);

(ii) "Capacity Building in Urban Transport (External Aid Component)"- saving of Rs.116.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 200.00 lakhs); and

(ख) ''प्रशिक्षण - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से विकेंद्रीकृत शहरी अभिशासन के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता'' - 304.42 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ग) ''अनुसंधान - शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान'' - 1628.88 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत 211.58 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10940.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2008 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान'' - 1940.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1939.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 9000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 8999.00 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए *1650.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* यद्यपि स्वीकृत *विनियोग* से *5.51 लाख* रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय *5,51,411* रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अतिरिक्त मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित किया जाना अपेक्षित है।**

(b) "Training - Assistance for Capacity Building for decentralized Urban Governance from UNDP"-saving of Rs.304.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing/executing agencies.

(c) "Research - Research in Urban and Regional Planning"- saving of Rs.1628.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate research and training proposals.

(V) Under three heads savings of Rs.211.58 lakhs occurred, each exceeding Rs. 50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.10940.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2008 under the following major heads:-

(A) Major Head "2217"- "General - Direction and Administration - Grants to Delhi Metro Rail Corporation"- Rs.1940.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1939.00 lakhs.

(B) Major Head "2552"- "Other Expenditure - Provision for the Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.9000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8999.00 lakhs.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, although supplementary *appropriation* of *Rs.1650.00 lakhs* was obtained in November, 2007 expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *Rs.5.51 lakhs* (actual excess was *Rs.5,51,411*). **The excess requires regularization by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Excess occurred under the following major head:-

शीर्ष Head			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2370.00	4020.00	4025.51	+5.51
पू.	S.	1650.00			

(I) *''सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण''* के अंतर्गत *24.91 का अधिक व्यय* (*100.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में माध्यस्थम के ब्याज वहन करने संबंधी आदेशों की वजह से प्रतिबद्ध देयताओं के कारण हुआ।

(I) Under *"Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Urban Development Construction"* - excess of *Rs.24.91 lakhs* (against the sanctioned appropriation of *Rs.100.00 lakhs*) was due to committed liability owing to orders of Arbitrators, which were interest bearing.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	30450.00	26628.00	26335.72	–292.28
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–3824.00			
मुख्य शीर्ष ''6217'' शहरी विकास के लिए कर्ज	Major Head "6217" Loans for Urban Development				
मू.	O.	65050.00	132250.00	132250.00	. .
पू.	S.	68106.00			
पु.	R.	–906.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण'' - 1228.10 लाख रु. की बचत (नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 19901.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य आवास'' -

(क) ''लेखा परीक्षा'' - 421.77 लाख रु. की बचत (1770.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभागों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''वित्त (राजस्व)'' - 2782.43 लाख रु. की बचत (नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 6020.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''6217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज - बंगलौर जन त्वरित पारगमन प्रणाली'' - 2000.00 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 153.44 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से लगभग 100 प्रतिशत तक थीं।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1094.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''6217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज - जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बैंक से दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सहायता

(I) Under Major Head "4216"- "Government Residential Buildings" – savings occurred under the following heads:-

(A) "General Pool Accommodation-Urban Development Construction"- saving of Rs.1228.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.19901.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakhs obtained in November, 2007) was due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies.

(B) "Other Housing"-

(a) "Audit"- saving of Rs.421.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1770.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the client Departments.

(b) "Finance (Revenue)"- saving of Rs.2782.43 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6020.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in November, 2007) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies.

(II) Under Major Head "6217"- "Other Urban Development Schemes - Loans to Municipal Cooperation – Bangalore Mass Rapid Transit System" – saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from implementing / executing agencies.

(III) Under two heads savings of Rs.153.44 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 24 percent to nearly 100 percent of the sanctioned provision.

5.(I) The above savings were partly (Rs.1094.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.68106.00 lakhs in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 under Major Head "6217"– "Other Urban Development Schemes – Loans to

उपलब्ध करना'' के अंतर्गत अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में 68106.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''लोक सभा/राज्य सभा'' - 133.84 लाख रु. का अधिक व्यय (965.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''विदेश मामले'' - 402.88 लाख रु. का अधिक व्यय (857.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्य पूरा कराने के लिए निष्पादन अभिकरणों को अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Municipal Corporation – Pass through assistance to Delhi Metro Rail Corporation from Japan Bank of International Co-operation".

(II) Savings were also partly offset by excess under Major Head "4216"- "Government Residential Buildings - Other Housing"- under the following heads:-

(A) "Lok Shabha/Rajya Sabha"- excess of Rs.133.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.965.00 lakhs); and

(B) "External Affairs"- excess of Rs.402.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.857.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for making payment to executing agencies to complete the work.